<u>विस्तृत विज्ञापन</u>

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

विज्ञापन संख्या :– 02/भर्ती/सारंगी वाद्य/EP-I/2017–18 **दिनांक : 27.03.2018**

आयोग द्वारा कॉलेज शिक्षा विभाग के लिए राजस्थान शिक्षा सेवा (महाविद्यालय शाखा) नियम, 1986 के अन्तर्गत लेक्चरर – सारंगी वाद्य (Lecturer- SARANGI INSTRUMENT) के पदों पर भर्ती हेतु **ऑनलाइन आवेदन** आमंत्रित किए जाते हैं। पद स्थाई है तथा विभाग से प्राप्त कुल रिक्त पदों (पदों में कमी/वृद्धि की जा सकती है) की संख्या एवं उनमें आरक्षित पदों की संख्या निम्नानुसार है :–

कुल पदों की संख्या	सामान्य				आरक्षित पदों की संख्या (राजस्थान के)														विशेष योग्यजन (Horizontal)
					अनुसूचित जाति				अनुसूचित जनजाति				पिछड़ा वर्ग				अति पिछड़ा वर्ग	
	सा.	महिला			सा.	महिला			सा.	महिला			सा.	महिला				
		सा.	वि.	परि.		सा.	वि.	परि.		सा.	वि.	परि.		सा.	वि.	परि.		
01	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 (B/LV)

1. **<u>शैक्षणिक योग्यताएं :–</u>**

(यू.जी.सी. के गजट नोटिफिकेशन दिनांक 10.5.2016 के अनुसार)

4.4.2. संगीत, अभिनय कलाएँ, दृश्य कलाएँ एवं पारम्परिक भारतीय कला स्वरूप जैसे मूर्तिकला आदि।

4.4.2.1 संगीत एवं नृत्य विद्या

(i) श्रेष्ठ अकादमिक रिकॉर्ड – जिसमें न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक हों (जहाँ पर भी ग्रेडिंग प्रणाली का अनुसरण किया जाता रहा हो वहाँ पॉइन्ट स्केल के अंतर्गत एक समतुल्य ग्रेड हो।) उनके स्नातकोत्तर स्तर की डिग्री स्तर पर–उनके अपने सापेक्ष विषय में हो–अथवा किसी भी भारतीय/विदेशी विश्वविद्यालय से एक समतुल्य डिग्री हो।

(ii) उपरोक्त अर्हताओं को पूरा कर लेने के अतिरिक्त, अभ्यर्थियों ने यू.जी.सी., सी.एस.आइ.आर. द्वारा संचालित जो व्याख्याताओं के लिए राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा आयोग द्वारा संचालित/प्रत्यायित इसी की समतुल्य परीक्षा है–उसको सफलतापूर्वक पास कर लिया हो। इस अनुच्छेद 4.4.2.1 के अंतर्गत सम्मिलित उप–धाराएँ (i) एवं (ii) के बावजूद भी, ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास पीएच.डी. है अथवा जिन्हें पीएच.डी. प्रदान की गई है तथा जो प्रक्रिया यू.जी.सी. नियमन, 2009 (पीएच.डी. डिग्री के न्यूनतम मानक व विधि) के अनुसार है, ऐसे अभ्यर्थियों को नेट/स्लेट/सेट की उस न्यूनतम पात्रता शर्तों की अनिवार्यता से छूट होगी–जो शर्तें विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों एवं संस्थानों में सहायक प्रोफेसरों अथवा इनके समतुल्य पदों पर भर्ती एवं नियुक्तियों के लिए निर्धारित हुई है।

तथापि, दिनांक 11 जुलाई, 2009 से पूर्व एम.फिल./पीएच.डी. हेतु पाठ्यक्रमों के लिए पंजीकृत अभ्यर्थियों को उपाधि प्रदान करने वाले संस्थान के तत्कालीन अध्यादेश/उपविधि/विनियमों के उपबंधों द्वारा शासित होगा और पीएच.डी. उपाधि धारक अभ्यर्थियों का निम्नवत शर्तों पर खरा उतरने के अध्याधीन विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/संस्थानों में सहायक आचार्य अथवा समकक्ष पदों पर भर्ती एवं नियुक्ति हेतु उन्हें नेट/स्लेट/सेट की न्यूनतम पात्रता शर्तों की अनिवार्यता से छूट प्राप्त होगीः

(क) अभ्यर्थी को केवल नियमित (Regular) पद्धति से पीएच.डी. उपाधि प्रदान की गई हो;

(ख) कम से कम दो बाह्य परीक्षकों द्वारा शोध प्रबंध का मूल्यांकन किया गया हो;

(ग) अभ्यर्थी ने अपने पीएच.डी. शोध कार्य में से दो शोध पत्र प्रकाशित किए हों जिसमें से कम से कम एक पत्र संदर्भित (Refereed) जर्नल में प्रकाशित हुआ हो;

(घ) अभ्यर्थी ने अपने पीएच.डी. शोध कार्य में से दो पेपर संगोष्ठियों/सम्मेलनों में प्रस्तुत किए हों;

(ड़) अभ्यर्थी का मौखिक साक्षात्कार संचालित किया गया हो।

उपर्युक्त (क) से (ड़) को कुलपति/सम–कुलपति/संकाय अध्यक्ष (शैक्षणिक कार्य)/संकाय अध्यक्ष (विश्वविद्यालय शिक्षण) द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए।

(iii) कुछ विषय जिनमें नेट/स्लेट/सेट को संचालित नहीं किया जाता है–उन विषयों के लिए स्नातकोत्तर स्तर के कार्यक्रमों की अनिवार्यता नेट/स्लेट/सेट में नहीं होगी।

अथवा

(i) एक पारम्परिक एवं व्यावसायिक कलाविद् जिसने अपने सम्बद्ध विषय में उत्कृष्ट रूप से प्रशंसनीय तौर पर व्यावसायिक उपलब्धि की है और जिसके द्वारा किया गया हो –

(अ) उसने सुप्रसिद्ध/प्रतिष्ठित पारम्परिक गुरूजनों के शिष्य के रूप में अध्ययन किया हो–तथा अपना विषय विशेष की व्याख्या करने का सम्पूर्ण ज्ञान है :

(ब) दूरदर्शन/आकाशवाणी का वह उच्च स्तरीय कलाकार हो, तथा

(स) उसमें अपने विशिष्ट विषय के बारे में तार्किक रूप से व्याख्या करने की योग्यता हो तथा उस विषय में सैद्धान्तिक पक्ष का अध्यापन सचित्र माध्यम द्वारा करने का पर्याप्त ज्ञान हो।

श्रेष्ठ अकादमिक रिकॉर्ड की परिभाषा – अभ्यर्थी के स्नातकोत्तर उपाधि से पूर्ववर्ती तीन परिक्षाओं के प्राप्तांकों का औसत कम से कम 55 प्रतिशत हो, साथ ही सैकण्डरी/हाई स्कूल, हायर सैकेण्डरी/सीनियर सैकण्डरी में से किसी एक तथा स्नातक स्तर पर न्यूनतम 50 प्रतिशत प्राप्तांक हो या जहां कहीं ग्रेडिंग पद्धति लागू है उपर्युक्त प्रतिशत के अनुसार समकक्ष ग्रेड प्राप्त हो, किन्तु प्राप्त ग्रेड को 55 प्रतिशत या 50 प्रतिशत जैसी भी स्थिति हो में परिवर्तित करने हेतु ना तो अनुग्रह अंक देय होंगे और/अथवा ना ही निकटतम पूर्णांकों में परिवर्तित किया जावेगा।

<u>नोट</u> :– (1) राजस्थान लोक सेवा आयोग की राज्य स्तरीय पात्रता परीक्षा (SLET/SET) उत्तीर्ण मान्य है।

(2) 01 जून, 2002 से पूर्व किसी भी प्रदेश से SLET/SET उत्तीर्ण अभ्यर्थी पात्र होगा।

(3) 01 जून, 2002 को या उसके पश्चात् अन्य प्रदेश से उत्तीर्ण (SLET/SET) अभ्यर्थी को इस पद हेतु पात्र नहीं माना जायेगा।

2. देवनागरी लिपि में लिखी हिन्दी का व्यावहारिक ज्ञान एवं राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान।

<u>निम्नलिखित श्रेणी के अभ्यर्थियों को उपरोक्त अर्हता में निम्नानुसार छूट देय होगी :–</u>

(अ) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा निःशक्तजन अभ्यर्थियों को स्नातकोत्तर परीक्षा में 5 प्रतिशत की छूट देकर 55 प्रतिशत से 50 प्रतिशत।

(ब) दिनांक 19.09.1991 से पूर्व स्नातकोत्तर स्तर की डिग्री प्राप्त अभ्यर्थियों को पीएच.डी. उपाधि धारण करने पर स्नातकोत्तर स्तर में 5 % की छूट देकर 55 से 50 प्रतिशत।

आयु – दिनांक 01–07–2018 को न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष से कम। | **रनिंग पे–बैण्ड** – पे मैट्रिक्स लेवल L-15

आयु सीमा में छूट के प्रावधान			
क्र.सं.	**अभ्यर्थियों का वर्ग**		**अधिकतम आयु में देय छूट (वर्षों में)**
1.	राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा/अति पिछड़ा वर्ग के पुरूष एवं सामान्य महिला		5
2.	राजस्थान की अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा/अति पिछड़ा वर्ग की महिला		10
3.	विधवा एवं विछिन्न विवाह (परित्यक्ता) महिला		अधिकतम आयु सीमा नहीं
4.	निःशक्तजन	सामान्य	10
		पिछड़ा/अति पिछड़ा वर्ग	13
		अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति	15

अन्य विशिष्ट श्रेणियों हेतु आयु सीमा में छूट	
1	shall be 50 years in the case of reservists, namely the Defence Services personnel transferred to the Reserve.
2	shall not apply in the case of an ex-prisoner who had served under the Government on a substantive basis on any post before conviction and was eligible for appointment under the rules.
3	shall be relaxable by a period equal to the term of imprisonment served in the case of an ex-prisoner who was not over age before his conviction and was eligible for appointment under the rules.
4	notwithstanding anything contained contrary in these rules in the case of persons serving in connection with the affairs of the State in substantive capacity the upper age limit shall be 40 years for direct recruitment to posts filled in through the Commission by interview.
5	shall be relaxed by 15 years in the case of substantive teachers in the Education Department of the Government and the Panchayat Samities subject to the limit of 3 chances.
6	shall be relaxed by 5 years in the case of candidates having a First Class Master's Degree or a Doctorate in the subject concerned of a University established by law in India with 5 years experience of teaching Degree and / or post-graduate classes in a recognised college subject to the limit three chances.
7	The persons appointed temporarily to a post in the service shall be deemed to be within the age-limit, if they were within the age-limit when they were initially appointed even though they have crossed the age limit when they appear finally before the Commission and shall be allowed upto two chances had they been eligible as such at the time of their initial appointment.
8	that the upper age limit for persons serving in connection with the affairs of the Panchayat Samitis and Zila Parishads and in the State Public Sector Undertakings/Corporation in substantive capacity shall be 40 years.

नोट –

(1) उपरोक्त वर्णित आयु सीमा में छूट के प्रावधान असंचयी (Non Cumulative) हैं अर्थात् अभ्यर्थियों को उपरोक्त वर्णित किसी भी एक प्रावधान का अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जायेगा। एक से अधिक प्रावधानों को जोड़ कर छूट का लाभ नहीं दिया जायेगा।

(2) कार्मिक (क–2) विभाग के परिपत्र दिनांक 26.7.2017 एवं पत्र दिनांक 14.9.2017 के अनुसार यदि किसी आरक्षित वर्ग (SC/ST/BC/MBC) के अभ्यर्थी द्वारा शुल्क के अतिरिक्त उनको देय किसी अन्य रियायत (जैसे– आयुसीमा, अंक, फिजिकल फिटनेस आदि) का लाभ लिया जाता है तो उसे अनारक्षित रिक्तियों के प्रति विचारित नहीं किया जायेगा।

(3) उक्त पद आयोग द्वारा प्रथम बार विज्ञापित किये जा रहे हैं। अतः राज्य सरकार की अधिसूचना *दिनांक 23–09–2008 के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में कोई छूट देय नहीं होगी।*

अन्य विवरण	
शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रावधान	उक्त पदों की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता के **अंतिम वर्ष में सम्मिलित हुआ हो या सम्मिलित होने वाला** व्यक्ति भी आवेदन करने के लिए पात्र होगा, किन्तु उसे आयोग द्वारा आयोजित **साक्षात्कार से पूर्व** शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा, अन्यथा वह अपात्र होगा।
चयन प्रक्रिया	उक्त पद लिखित प्रतियोगी परीक्षा एवं साक्षात्कार के माध्यम से भरे जाएंगे।
परीक्षा का स्थान व माह	उक्त पदों हेतु परीक्षा अजमेर/जयपुर में आयोजित किये जाने की संभावना है जिसकी तिथि आवेदन की अंतिम दिनांक के उपरान्त यथाशीघ्र घोषित की जायेगी।
परीक्षा योजना व पाठ्यक्रम	यह परीक्षा वस्तुनिष्ठ रूप में **(Online/Offline)** ली जायेगी। **सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे।** विस्तृत पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाईट पर शीघ्र ही जारी कर दिया जाएगा।
आवेदन अवधि	**दिनांक** 02.04.2018 **से दिनांक** 16.04.2018 रात्रि 12–00 बजे तक
आवेदन प्रक्रिया	1. **अभ्यर्थियों द्वारा आयोग की वेबसाईट https://rpsc.rajasthan/gov.in/applyonline से एस.एस.ओ. (SSO) पोर्टल पर लोगिन कर State Recruitment Portal सर्विस का चयन करना होगा।** 2. **State Recruitment Portal पर आधार आधारित One Time Registration (OTR) कर अभ्यर्थी परीक्षा हेतु आवेदन कर सकता है।** 3. **अभ्यर्थियों द्वारा परीक्षा शुल्क परीक्षा हेतु आवेदन पत्र भरकर State Recruitment Portal पर उपलब्ध भुगतान सुविधा से भुगतान कर आवेदन क्रमांक जनरेट करना होगा।** 4. **अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क जमा कराने हेतु अन्य किसी पोर्टल अथवा सुविधा का उपयोग न करें।** 5. **अभ्यर्थियों को उक्त परीक्षा शुल्क जमा करने की सुविधाओं में किसी भी प्रकार का शुल्क रिफण्ड नहीं किया जायेगा।** 6. **अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क का भुगतान आवेदन की अन्तिम दिनांक से पूर्व सुनिश्चित करें ताकि किसी प्रकार की भुगतान संबंधित Transaction का लम्बित सत्यापन समय रहते हो सके।**
आवेदन पत्र में ऑनलाईन संशोधन	ऑनलाईन आवेदन पत्र में संशोधन **दिनांक** 17.04.2018 **से दिनांक** 23.04.2018 रात्रि 12–00 बजे तक।

विशेष नोट :–

(1) **अभ्यर्थी Online Application Form में अपना वही मोबाईल नम्बर अंकित करें जिस पर वह परीक्षा/साक्षात्कार इत्यादि संबंधी भावी सूचना SMS के माध्यम से चाहता है। ऑनलाईन आवेदन में अंकित मोबाईल नम्बर बदलने/बन्द/नेटवर्क समस्या होने पर सूचनाएं प्राप्त नहीं होने के लिए अभ्यर्थी की स्वयं की जिम्मेदारी होगी।**

(2) **आयोग द्वारा अभ्यर्थी से किसी भी प्रकार का ऑफलाईन/लिखित संशोधन स्वीकार्य नहीं होगा। किसी भी त्रुटि का सम्पूर्ण दायित्व अभ्यर्थी का ही होगा एवं उक्त 07 दिवस की ऑनलाईन संशोधन तिथि उपरान्त कोई भी परिवर्तन करने हेतु अभ्यर्थी को कोई कानूनी अधिकार नहीं होगा।**

Scheme of competitive examination for the post of Lecturer

The Scheme of competitive examination shall consist of-

(i) Written examination; and (ii) Interview

A. Written examination:

The written examination shall consist of the following papers carrying the marks and time allowed, as shown against them :-

Paper	Subjects	Marks	Time
I	Subject concerned with the post	75	3 Hours.
II	Subject concerned with the post	75	3 Hours.
III	General Studies of Rajasthan	50	2 Hours.
Total Marks		**200**	

B. Interview:

(i) The interview shall carry 24 marks.

(ii) To the extent of three times of total number of vacancies (category wise), the candidates who obtain such minimum qualifying marks in written examination as may be fixed by the Commission, shall be summoned for interview.

C. Syllabus:

The syllabus shall be such as specified by the Commission, from time to time and will be intimated to the candidates within the stipulated time in the manner as the Commission deems fit.

विशेष सूचना :– ''यदि कोई अभ्यर्थी अपने Online आवेदन पत्र में संशोधन करना चाहता है तो आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक के पश्चात् 07 दिवस के भीतर निर्धारित शुल्क देकर Online संशोधन कर सकता है। इसके पश्चात् किसी प्रकार का संशोधन/परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जाएगा एवं ऐसी किसी भी त्रुटि का सम्पूर्ण दायित्व अभ्यर्थी का ही होगा।''

अन्य बिन्दु व सूचना :– परीक्षा शुल्क, आवेदन प्रक्रिया, प्रमाण पत्रों से संबंधित सूचना एवं परीक्षा से संबंधित अन्य बिन्दु व सूचना के लिए आयोग की वेबसाइट पर जारी **नवीनतम एवं संशोधित परीक्षार्थियों हेतु आवेदन व परीक्षा संबंधी सामान्य दिशा–निर्देश** तथा **सम्बन्धित सेवा नियमों** का अध्ययन आवश्यक रूप से कर लें। इसके अतिरिक्त समय–समय पर जारी इस परीक्षा से संबद्ध सूचनाओं को आयोग की वेबसाइट **http://www.rpsc.rajasthan.gov.in** पर उपलब्ध सूचना से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के मार्ग निर्देशन/सूचना/स्पष्टीकरण हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर के परिसर में स्थित स्वागत कक्ष पर व्यक्तिगत रूप से अथवा **दूरभाष सं.– 0145–2635212 एवं 2635200** पर सम्पर्क किया जा सकता है। समस्त पत्र व्यवहार सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को सम्बोधित किया जाए।

(गिरिराज सिंह कुशवाहा)
सचिव